# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :—607 / 2024

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1 जालुराम पुत्र कोशलाराम जाति जाट निवासी मेराजोणियों की बेरी बाटाड़ू तहसील बाटाड़ू जिला बाड़मेर। | | 1 ओमप्रकाश 2 डालुराम 3 भंवरलाल पिसरान जालुराम 4 पूरोदेवी पत्नी जालुराम 5 सताराम पुत्र मगाराम जाति जाट निवासी मेराजोणियों की बेरी बाटाड़ु तहसील बाटाड़ू जिला बाड़मेर 6 तहसीलदार बाटाड़ू। |

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए RTA Act.**

उपस्थिति :—

1. श्री सुनिल के. मेराजा, वकील प्रार्थी।
2. श्री नारायण कुमावत वकील अप्रार्थी संख्या 01, 02, 04 व 05।

## आदेश

दिनांक 25.02.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा मेराजोणियों की बरी पटवार हल्का बाटाड़ू तहसील बाटाड़ू जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 1952 / 1843 रकबा 2.5969 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि आई हुई है। प्रार्थी की जोत में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 05 की भूमि मौजा मेराजोणियों की बरी पटवार हल्का बाटाड़ू तहसील बाटाड़ू जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 1467 रकबा 2.2086 हैक्टेयर भूमि में से रास्ते से सड़क मार्ग तक जाने का एक—मात्र रास्ता है। इसके अलावा प्रार्थी के पास में कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी को अपनी जोत में आने—जाने हेतु संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में बरंग बैंगनी से दर्शाइ गई भूमि की अत्यन्त आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 01 से 05 की भूमि में से आने—जाने हेतु रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 01, 02, 04 व 05 उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 01, 02, 04 व 05 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नही किया गया। तहसीलदार बाटाड़ू से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाटाड़ू ने पत्रांक विविध / 2024 / 445 दिनांक 27.11.20274 द्वारा मौका रिपोर्ट उपलब्ध करवाते हुए अंकित किया कि प्रार्थी की खातेदारी की मौजा मेराजोणियों की बरी पटवार हल्का बाटाड़ू तहसील बाटाड़ू जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 1952 / 1843 रकबा 2.5969 हैक्टेयर भूमि में से सड़क तक आने—जाने हेतु मौके पर नक्शों में अन्तर आ रहा है जबकि मौके पर डामर [illegible] संख्या 1467, 1450 व खसरा संख्या 1853 / 1469 के सेढा पर जबकि राज[illegible] यह दूरी 20 गट्ठा है। राजस्व रेकर्ड के अनुसार गैर मुमकीन [illegible] चाहा गया रास्ता की कुल लम्बाई 53 गट्ठा है व चौड़ाई 03 गट्ठा है, जिसका क्षेत्रफल 0.08 बीघा या 0.0648 हैक्टेयर रकबा है, जबकि मौके अनुसार रकबा 0.07 बीघा या 0.0566 है। राजस्व रेकर्ड के अनुसार खसरा संख्या 1467 रकबा 2.2086 है, जिसमे गै.मु. रास्ता के लिए रकबा 0.0648 है को निकालने पर रकबा 2.1438 ही रहेगा। भूमि की डीएलसी रेट 358648.00 प्रति हैक्टेयर जो कि गै.मु. रास्ता के लिए भूमि का डीएलसी रेट से दुगूना 46480.00 रूपया होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.03.21 09:59:46 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी

तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता स्वीकार किया गया।

वकील अप्रार्थी संख्या 01, 02, 04 व 05 द्वारा आपति प्रस्तुत कर अंकित किया कि मौका रिपोर्ट राजस्व कर्मचारियों अधिकारियों से मिलावट कर गलत व निराधार तथ्यों पर बनाकर प्रस्तुत की है। खसरा संख्या 1952/1843 से कटाण मार्ग तक पहुंचने तथा रास्ता हेतु अन्य कोई विकल्प के सम्बन्ध में जांच करने के निर्देश दिये गये थे परन्तु प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थीगण को सूचित नही किया गया तथा राजस्व अधिकारी मौके पर आये भी नही जो रिपोर्ट एक पक्षीय है, जबकि मौका दोनों पक्षों के रूबरू तैयार किये जाने के राजस्व मण्डल के नियम है। मौका रिपोर्ट अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा तैयार की गई है जो कि रेकर्ड पर लिये जाने योग्य नही है, जिस पर अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर ही नही है। मौका रिपोर्ट दिनांक 17.09.2024 को तैयार की गई जबकि मौके पर जाने की तारीख 17.10.2024 काट छाट कर लिखी गई है जबकि भू.अ.निरीक्षक के हस्ताक्षर के निचे तारीख 17.11.2024 अंकित है। लिहाजा तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट निरस्त कर पुनः मौका रिपोर्ट उभय पक्षों की उपस्थिति में तैयार करने हेतु निर्देशित करावें।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अतः वकील अप्रार्थी संख्या 01, 02, 04 व 05 द्वारा प्रस्तुत आपति स्वीकार की जाकर तहसीलदार बाटाडू से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाटाडू ने पत्रांक राजस्व/2025/82 दिनांक 19.02.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट उपलब्ध करवाते हुए अंकित किया राजस्व रेकर्ड व लट्ठा ट्रेस नक्शे के अनुसार अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 1467 रकबा 2.2086 हैक्टेयर में से प्रार्थी के खसरा संख्या 1853/1469 व 1467 के पास से खसरा संख्या 1952/1843 तक जाने के लिए डामर सड़क से रास्ता पेश लाल स्याही से दर्शाया है जो कि कुल रकबा 0.0648 हैक्टेयर बनता है, जिसकी डीएलसी मूल्यांकन 370000 हैक्टैयर है इसके अनुसार प्रसावित 0.0648 हैक्टेयर की डीएलसी कीमत 23976 रूपया व दूगुना 47952 रूपया बनता है, जो रास्ता डामर रोड के नजदीक है। अतः खसरा संख्या 1467 का शेष रकबा 2.1438 व खातेदार का नाम संलग्न जमाबन्दी बदस्तूर रहोगा। दूसरा रास्ता कोई विकल्प नही है। उक्त रास्ता का रकबा निम्नानुसार जमबान्दी में रास्ता निकालने पर शेष रहेगा :—

| क्र. सं. | खातेदार | ख[illegible] | कुल रकबा | किस्म | रास्ता लम्बाई X चौड़ाई (गट्ठा में) प्रस्तावित मार्ग का रकबा | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | गै.मु. रास्ता न्यायालय आदेशानुसार | 1467 | 0.0648 | गै.मु रास्ता | 53 | 3 |
| 1 | ओमप्रकाश पुत्र जालुराम हिस्सा 1/8 रहन आरएमजीबी शाखा बाटाडू डालुराम पुत्र जालुराम हिस्सा 1/8 रहन आरएमजीबी शाखा बाटाडू पुरादेवी पत्नी जालुराम हिस्सा 1/8 रहन आरएमजीबी शाखा बाटाडू भंवरलाल पुत्र जालुराम हिस्सा 1/8. रहन आरएमजीबी शाखा बाटाडू सताराम पुत्र मगाराम हिस्सा 1/2 रहन आरएमजीबी शाखा बाटाडू जाति जाट सा. देह खातेदार | 1467 | 2.1438 | बा.दो. | — | - |

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.03.21 09:59:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाटाडू

राजस्व रेकर्ड के अनुसार गै.मु. रास्ता के लिए 53 गट्ठा लम्बाई व चौड़ाई 3 गट्ठा है, जिसका रकबा 0.0648 हैक्टेयर बनता है। राजस्थान सरकार लिस्ट ऑफ रूरल डीएलसी रेट के अनुसार 370000 हैक्टैयर है इसके अनुसार प्रसावित 0.0648 हैक्टेयर की डीएलसी कीमत 23976 रूपया व दूगुना 47952 रूपया बनता है।

तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता स्वीकार किया गया।

वकील अप्रार्थी संख्या 01, 02, 04 व 05 द्वारा आपति प्रस्तुत कर अंकित किया कि मौका रिपोर्ट राजस्व कर्मचारियों अधिकारियों से मिलावट कर गलत व निराधार तथ्यों पर बनाकर प्रस्तुत की है। खसरा संख्या 1952/1843 से कटाण मार्ग तक पहुंचने तथा रास्ता अन्य कोई विकल्प के सम्बन्ध में जांच करने के निर्देश दिये गये थे परन्तु प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थीगण को सूचित नही किया गया तथा राजस्व अधिकारी मौके पर आये भी नही जो रिपोर्ट एक पक्षीय है, जबकि मौका दोनों पक्षों के रूबरू तैयार किये जाने के राजस्व मण्डल के नियम है। खसरा संख्या 1843/1450 रकबा 60.00 बीघा था बाद में बंटवाड़ा होने से नये खसरे बने है, जिसमे प्रार्थी का खसरा संख्या 1952/1843 भी सम्मिलित है। उक्त बंटवड़ा होने पर सभी खसरा संख्या 1843/1450 रास्ते से जुड़े हुए है, जिस रास्ते का उपभोग प्रार्थी वर्तमान में कर रहा है। उक्त रास्ते का स्वीकृत नही करवा कर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के खेत से रास्ता चाहा गया है, जो अवैध व शून्य है। खसरा संख्या 1952/1843 से कटाण मार्ग तक पहुंचने तथा रास्ता हेतु अन्य कोई विकल्प के सम्बन्ध में जांच करने के निर्देश दिये गये थे परन्तु प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थीगण को सूचित नही किया गया तथा राजस्व अधिकारी मौके पर आये भी नही जो रिपोर्ट एक पक्षीय है, जबकि मौका दोनों पक्षों के रूबरू तैयार किये जाने के राजस्व मण्डल के नियम है। मौका रिपोर्ट अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा तैयार की गई है जो कि रेकर्ड पर लिये जाने योग्य नही है, जिस पर अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर ही नही है। उक्त मौका रिपोर्ट पर एक ही परिवार के सदस्यों के हस्ताक्षर है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन खारिज कर मूल खसरा संख्या 1843/1450 में से रास्ता मंगवाने का आदेश फरमावें।

मौका रिपोर्ट पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। तहसीलदार बाटाडू के प्राप्त मौका रिपोर्ट व नक्शा का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाटाडू ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता डामर रोड के नजदीक है। दूसरा रास्ता कोई विकल्प नही है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 01 से 05 के खेत खसरा संख्या 1467 में से प्रा[illegible] खसरा संख्या 1952/1843 के आवागमन हेतु रास्ता प्रस्तावित [illegible] पड़ी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम.251–क के [illegible] की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए [illegible] है और अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है।" जो तहसीलदार बाटाडू की रिपोर्ट से स्पष्ट है। अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र तहसीलदार बाटाडू की रिपोर्ट के परीप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.03.21 09:59:46 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विवेचनोपरांत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना –पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा मेराजोणियों की बरी पटवार हल्का बाटाडू तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर के खेत

खसरा संख्या 1952/1843 रकबा 2.5969 हैक्टेयर भूमि में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 05 की भूमि में से सड़क मार्ग तक पहुचने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 05 की भूमि मौजा गेराजोणियों की बरी पटवार हल्का बाटाडू तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 1467 रकबा 2.2086 हैक्टेयर भूमि में से निम्नानुसार रास्ता स्वीकार किया जाता है :-

| क्र. सं. | वर्तमान खाते की स्थिति | ख.नं. | कुल रकबा | किस्म | रास्ता लम्बाई X चौड़ाई (गठ्ठा में) प्रस्तावित मार्ग का रकबा | | प्रस्तावित किस्म | प्रस्तावित मार्ग का रकबा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ओमप्रकाश पुत्र जालुराम हिस्सा 1/8 रहन आरएमजीबी शाखा बाटाडू डालुराम पुत्र जालुराम हिस्सा 1/8 रहन आरएमजीबी शाखा बाटाडू पुरादेवी पत्नी जालुराम हिस्सा 1/8 रहन आरएमजीबी शाखा बाटाडू भंवलाल पुत्र जालुराम हिस्सा 1/8 रहन आरएमजीबी शाखा बाटाडू सताराम पुत्र मगाराम हिस्सा 1/2 रहन आरएमजीबी शाखा बाटाडू जाति जाट सा. देह खातेदार | 1467 | 2.2086 | बा.दो. | 53 | 3 | गै.मु. रास्ता | 0.0648 हैक्टेयर |

तहसीलदार बाटाडू उक्त प्रस्तावित मार्ग अनुसार डीएलसी की दूगुनी राशि 47952/- प्रार्थी बैंकर्स चैक पेश करें। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा करवाने पर तहसीलदार बाटाडू राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अमल दरामद कर लठा ट्रेस मे तरमीम करावे तथा सम्बन्धित खातेदारान को नियमानुसार भुगतान करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द दिनांक 18.02.2025 के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ 'अ' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 25.02.2025 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.03.21 09:59:46 IST
Reason: SelfAttested